बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड,
7, सरदार पटेल मार्ग, पटना — 15

ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, जो पथ निर्माण विभाग/बिहार सरकार का एक सरकारी उपक्रम है, के द्वारा पूर्व में निर्गत ठीकेदार सूचीकरण/नवीकरण संबंधित सभी नियमावली को अवक्रमित करते हुए **"ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007"** को जनसाधारण की जानकारी हेतु एतद द्वारा प्रकाशित की जाती है ।

नियम

1 (i) यह बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 कहलायेगी।

(ii) यह नियमावली इस विषय पर लागू सभी पूर्ववर्ती नियमों का अवक्रमण (नामांकन के आधार पर कार्य आवंटन छोड़कर) करेगी तथा प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

(iii) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, में वर्त्तमान निबंधित ठीकेदारों पर यह नियम उनके पंजीकरण नवीकरण की तिथि से प्रभावी होगी ।

2. ठीकेदारों को पुल/पथ के निर्माणार्थ निम्नलिखित श्रेणी में निबंधित किया जायेगा :—

श्रेणी 1 : 5 करोड़ रू॰ से ऊपर के निर्माण कार्य सम्पादित करने के लिए सक्षम।

श्रेणी 2 : 1 करोड़ रू॰ से 5 करोड़ रू॰ तक के निर्माण कार्य सम्पादित करने के लिए सक्षम।

श्रेणी 3 : 1 करोड़ रूपये से कम तक के निर्माण कार्य सम्पादित करने के लिए सक्षम ।

3. उपर्युक्त श्रेणियों के लिए निबंधन शुल्क निम्न प्रकार होगा :—

श्रेणी 1 : 2,00,000.00 (दो लाख) रूपये

श्रेणी 2 : 1,00,000.00 (एक लाख) रूपये

श्रेणी 3 : 25,000.00 (पच्चीस हजार) रूपये

4. (क) निबंधन 5 वर्षो के लिए अनुमान्य होगा। इस अवधि के दौरान श्रेणी दो एवं तीन में पंजीकृत संवेदक यदि चाहें तो उच्चतर श्रेणी में अतिरिक्त शुल्क जमा कर निबंधित हो सकते है। ऐसा करने पर उनकी निचली श्रेणी का पंजीकरण स्वतः रदद् समझा जाएगा।

(ख) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सभी श्रेणियों के संवेदकों के लिए निबंधन पदाधिकारी होंगें ।

(ग) उपरोक्त सभी श्रेणियों के पंजीकृत संवेदक सम्पूर्ण बिहार में कहीं भी कार्य सम्पादन के लिए सक्षम होंगें।

5. पंजीकरण के लिए निम्नलिखित कागजात संवेदक को जमा करनी होगी :—

(क) प्रपत्र 'क' में आवेदन पत्र

(ख) PAN रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति

(ग) आवेदन पत्र में अंकित पता का साक्ष्य (Address Proof)

(घ) निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट, **बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना /BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM LIMITED, PATNA** के पक्ष में बनाया गया हो तथा पटना में भुगतेय हो ।

(च) यदि पार्टनरशीप या लोक सीमित कंपनी हो तो उसका निबंधन प्रमाण पत्र, अंशधारियों के नाम तथा पार्टनरशीप डीड/कम्पनी बाई लॉ की प्रति।

6. **नवीकरण :**

(क) पाँच वर्ष की अवधि के बाद पुनः कंडिका 3 में दिये गये शुल्क को जमा कर नवीकरण कराया जा सकेगा।

(ख) नवीकरण के लिये आवेदन पत्र निबंधन समाप्त होने के एक माह पूर्व दिया जाना होगा।

(ग) नवीकरण हेतु आवेदन देने के लिए अंतिम तिथि निबंधन समाप्ति हो जाने की तिथि से एक माह तक होगी ।

7. **आवेदन पत्रः**

इच्छुक संवेदकगण परिशिष्ट–'क' में उल्लिखित प्रपत्र को भरकर आवेदन देंगें। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा परिशिष्ट–'ख' में उल्लिखित निबंधन प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।

8. **काली सूची तथा निलंबन :–**

(क) व्यक्तिगत रूप से ठीकेदार या निबन्धित फर्म के किसी साझीदार या निजी लोक सीमित कम्पनी के किसी निदेशक या उनके तकनीकी कर्मचारी या उनके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित में से किसी कदाचार के कारण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के किसी श्रेणी में निबंधित ठीकेदार का नाम काली सूची में डाल दिया जा सकेगा अथवा निश्चित अवधि के लिये निलंबित किया जा सकेगा :–

(i) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के साथ अनुशासनहीनता का व्यवहार।

(ii) एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक।

(iii) कार्य संबंधित कागजातों की प्राप्तियां, कागजातों का प्रस्तुतीकरण या उससे संबद्ध कोई कार्य करते समय बिहार राज्य पुल निर्माण निगम कार्यालय में विधि व्यवस्था की समस्या पैदा करने के लिये।

(iv) ठीकेदार द्वारा अपना कार्य किसी दूसरे ठीकेदार अथवा किसी व्यक्ति को बिना बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के आदेश से सौपने पर (सबलेटिंग)।

(v) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड से संबद्ध पदाधिकारी या कर्मचारी को अभित्रासित करने या उनपर हमला करने के लिये।

(vi) ठीकेदार द्वारा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा निर्गत विभागीय सामग्री जैसे सिमेंट, स्टील एवं अलकतरा इत्यादि बेचते हुए पाये जाने पर।

(vii) ठीकेदार द्वारा कार्य संबंधित गलत कागजात समर्पित करने पर ।

(viii) एक से अधिक बार कार्य आवंटित होने पर निश्चित अवधि तक एकरारनामा नहीं करना।

(ix) किसी अपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता होने पर।

(x) सोची–समझी साजिश के तहत् संघ/समूह (Cartel) बनाकर निविदा में भाग लेना/बहिस्कार करना।

(ख) किसी विशिष्ट श्रेणी के ठीकेदार को काली सूची में दर्ज करने अथवा निलंबन के पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया जाना आवश्यक होगा।

(ग) काली सूची में डालने का आदेश/निलंबन का आदेश निबंधन पदाधिकारी अथवा जिस पदाधिकारी के अधीन/पर्यवेक्षण में निबंधन पदाधिकारी कार्यरत हों, के द्वारा पारित किया जा सकेगा।

(घ) दिये गये दण्ड के विरूद्ध, संवेदक द्वारा, तीस दिनों के अन्दर अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा।

9. एक बार किसी व्यक्ति फर्म/कम्पनी का निबंधन हो जाने के बाद इसके मूलभूत संरचना में परिवर्तन के लिये नया निबंधन करना अनिवार्य होगा।

10. निबंधन में अंकित 'पावर ऑफ एटारनी' (मुख्तारनामा) में परिवर्तन की स्थिति में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड से आदेश प्राप्त होने पर ही कार्य में इसकी मान्यता दी जायेगी।

11. निबंधन में अंकित पता परिवर्तन होने पर इसकी सूचना निबंधन कार्यालय को देना आवश्यक होगा।

(3)

मूल्य—दो सौ पचास रुपये ।

परिशिष्ट – ''क''

ठीकेदारों के निबंधन / नवीकरण के लिये आवेदन पत्र का प्रपत्र

1 आवेदक का नाम, पिता का नाम उसकी राष्ट्रीयता, जन्म तिथि एवं पूरा पता :—

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

2. मुख्तारनामा धारण करने वाले व्यक्ति का नाम और उसकी राष्ट्रीयता । मुख्तारनामा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाय ।

आवेदक के पावर ऑफ अटार्नी धारण करने वाले व्यक्ति की अभिप्रमाणित फोटो

3 साझीदारों के नाम, उसकी राष्ट्रीयता

4. श्रेणी जिसमें निबंधन कराना चाहते हैं ।

5 क्या आवेदक या उसका कोई साझीदार या शेयर धारक का नाम काली सूची में दर्ज है, अथवा निलंबित है या पूर्व में निलंबित हुआ है अथवा काली सूची में दर्ज हुआ है ।

6 निबंधन शुल्क जमा करने के संबंध में विवरणी

बैंक ड्राफ्ट संख्या	दिनांक	बैंक का नाम	मूल्य

टिप्पणी :

(1) ठीकदार वैसे अंचल में कार्य करने का हकदार नहीं होंगे जिसमें उनके नजदीकी संबंधी प्रमंडलीय लेखापाल या कनीय अभियंता से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं । किसी ठीकेदार द्वारा इस शर्त का उल्लंघन निबंधन सूची से नाम हटाने के लिये पर्याप्त होगा ।

(2) नजदीकी संबंधी पद से अभिप्रेत है पति/पत्नी/माता/पिता/भाई अथवा बहन ।

(3) मैं/हमलोग प्रमाणित करता हूँ / करते हैं कि मेरा / हमलोगों का / के नाम ठीकेदार / ठेकेदारों के रूप में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड में अभी किसी वर्ग में निबंधित नहीं है ।

तिथि

आवेदक का हस्ताक्षर और पता

महत्वपूर्ण सूचनाएँ :—

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न करें।

1 PAN कार्ड की छाया प्रति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित।

2 आवेदन पत्र में चिपकायी गयी फोटो को भी किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित करायें।

3 Address Proof

4 बैंक ड्राफ्ट मूल में संलग्न करें।

5. यदि मुख्तारनामा है तो उसकी अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

उपर्युक्त के बिना निबंधन/नवीकरण हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

कार्यालय उपयोग के लिए

उपर्युक्त संवेदक श्री ....

पता :— ....

श्रेणी:— ....

का निबंधन दिनांक .... से .... तक के लिए रूपये ....

.... (डिमांड ड्रॉफ्ट संख्या .... दिनांक ....बैंक का नाम ....) में किया गया।

उपर्युक्त संवेदक के मुख्तारनामा के संबंध में दर्ज किया गया कि उपर्युक्त संवेदक श्री / मेसर्स .... द्वारा श्री / मेसर्स ....,....................पता .... को पावर ऑफ एटॉरनी प्रदान किया गया है।

दिनांक

सक्षम पदाधिकारी

परिशिष्ट – "ख"

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड,

7, सरदार पटेल मार्ग, पटना–800 015

निबंधन प्रमाण–पत्र

आवेदक की अभिप्रमाणित फोटो

श्री ....

पता ....

....

....

आवेदक की पावर ऑफ अटॉर्नी धारण करने वाले व्यक्ति की अभिप्रमाणित फोटो संलग्न करें

को श्रेणी .... में अवधि दिनांक ....

.... से .... तक के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के संवेदक के रूप में निबंधित किया जाता है ।

दिनांक

सक्षम पदाधिकारी